फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम भौरीदेवी

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 59/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.02.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 की सम्यक तामील पूर्व मे हो चूकी पूर्व में अप्राथी संख्या के अधिवक्ता उपस्थित थे एवं अप्रार्थी संख्या 2 पेरोकार सरकार है। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बहस करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित को ध्यान में रखते हुऐ वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1322 रकबा 0.5000 है0 स्थित ग्राम तूंगा पटवार हल्का तूंगा भू0अ0नि0 तूंगा तह0 तूंगा जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कि उभयपक्ष मूलवाद 685/2022 रामेश्वर बनाम भौरीदेवी के निर्णय तक विवादित आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर	